



No. GAD/P/RECT-Dy.CE/ 3232

19th August 2022

Recruitment Notice

**The Chairpersons
All Major Port Authorities**

Sir/Madam,

**Sub: Filling up the post of Deputy Chief Engineer in the
pay scale of Rs.80000-220000 under Composite
Method in Mumbai Port Authority – Reg.**

.....

1. The post of Deputy Chief Engineer in Mumbai Port Authority fell vacant w.e.f. 28.7.2022. The post is to be filled by **absorption through composite method** from officers of Major Ports, fulfilling the eligibility criteria as mentioned at **Annexure I**.
2. The selection is by merit for which overall grading in the APARs should not be below "Very Good".
3. **Applications are invited from eligible and willing officers** of all the Major Port Authorities possessing the prescribed qualifications and experience as mentioned at **Annexure I**. The application shall be submitted through '**Online Application Portal (OAP)**' of the Ministry of Shipping (website <http://onlinevacancy.shipmin.nic.in>) from **22.8.2022 to 21.9.2022**. No application submitted other than OAP will be accepted.
4. The candidate has to submit the hard-copy of the application form uploaded in OAP to his administrative Port for onward forwarding to MbPA. The administrative Ports are required to forward the applications of the candidates along with the following documents superscribing "**Application for the post of Deputy Chief Engineer in Mumbai Port Authority**" on or before **06.10.2022**.

(.....2)



सं.सा.प्र.वि/पी/भर्ती-उमुअ/ 3232

19 अगस्त 2022

भर्ती सूचना

अध्यक्ष

सभी महापत्तन प्राधिकरण

महोदय/ महोदया,

विषय : मुंबई पत्तन प्राधिकरण में मिश्रित पद्धति के अंतर्गत
रु. 80000-220000 के वेतनमान में उप मुख्य अभियंता का पद भरना
-संबंधी.

1. मुंबई पत्तन प्राधिकरण में उप मुख्य अभियंता का पद दि. 28.7.2022 से रिक्त हुआ है. यह पद **अनुलग्नक - I** में यथा उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करनेवाले, महापत्तनों के अधिकारियों से मिश्रित पद्धति के जरिए आमेलन द्वारा भरा जाना है.
2. चयन योग्यता के आधार पर होगा जिसके लिए वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में समग्र प्रेडिंग(श्रेणीकरण) "क्वैरी गुड" से कम नहीं होनी चाहिए.
3. **अनुलग्नक- I** में यथा उल्लिखित निर्धारित अर्हतायें तथा अनुभव धारण करने वाले सभी महापत्तन प्राधिकरणों के पात्र तथा इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं. आवेदन **22.8.2022 से 21.9.2022** तक पोत परिवहन मंत्रालय की वेबसाईट (<http://onlinevacancy.shipmin.nic.in>) के "ऑनलाईन आवेदन पोर्टल (ओएपी)" के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है. ओएपी के अलावा प्रस्तुत कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
4. उम्मीदवार को ओएपी में अपलोड किए गए आवेदन प्रपत्र की हार्ड कॉपी अपने प्रशासनिक पत्तन को प्रस्तुत करनी होगी ताकि वे उसे मुंबई पत्तन प्राधिकरण को आगे अग्रेषित कर सकें. प्रशासनिक पत्तनों को उम्मीदवारों के आवेदन निम्नलिखित कागजातों सहित उनके उपर "**मुंबई पत्तन प्राधिकरण में उप मुख्य अभियंता पद के लिए आवेदन**" लिखने के बाद **6.10.2022** को अथवा उसके पूर्व अग्रेषित करने होंगे.

(...2)

- (i) *certified copies of APARs for the last 5 years (2016-17 to 2020-21), duly attested by an officer not below the rank of Dy. HOD on each of the pages;*
- (ii) *a statement showing year-wise availability of APARs and grading duly signed by the Dy. Chairman / Chairman as per the Ministry's letter dated 1.2.2007. If APAR for a particular year during the last 5 years is not available, "No Report Certificate" may be furnished along with APARs of the preceding years;*
- (iii) *Attested photocopies of all certificates and proof of educational qualification, present and past work experience in the respective post and pay scale.*
- (iv) *No objection certificate from the respective Port.*
- (v) *Undertaking of the applicant that he will not withdraw his candidature, if selected by Services Selection Committee;*
- (vi) *Administrative clearance of the concerned port (Annexure II)*
- (vii) *Vigilance report is to be furnished in the prescribed format (Annexure III).*
- (viii) *Two passport size photographs.*
- (ix) *If any major or minor penalty has been imposed on the applicant during the last 10 years, the disciplinary case leading to such penalty along with necessary documents may be sent by the forwarding authority along with the application.*

5. As per the Ministry's guidelines dated 11.8.2021, in case of receipt of advance copy of application from any candidate, his candidature will not be considered **if his application is not received through proper channel from the Port within 15 days** of the last date of receipt of applications. Therefore, Major Ports are requested to forward the applications with complete set of enclosures on or before **06.10.2022**.

6. While forwarding the application, the Major Ports are to enclose all relevant documents at a time. No piecemeal / part forwarding will be considered.

7. The crucial date for eligibility criteria will be the last date of closing of application i.e. **21.9.2022**.

(.....3)

- (i) पिछले 5 वर्षों की (2016-17 से 2020-21) वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की प्रमाणित प्रतियाँ, उप विभागप्रमुख स्तर के नीचे न हो ऐसे अधिकारी द्वारा हर एक पन्ने पर विधिवत प्रमाणित करके;
- (ii) वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की वर्षवार उपलब्धता तथा श्रेणीकरण (ग्रेडिंग) दशनिवाला विवरण जो मंत्रालय के दिनांक 1.2.2007 के पत्र के अनुसार उपाध्यक्ष/अध्यक्ष द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो. पिछले पाँच वर्षों में से यदि किसी विशिष्ट वर्ष का वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध न हो, तो उसके बारे में "रिपोर्ट नहीं है प्रमाणपत्र" पूर्ववर्ती वर्षों के वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्टों के साथ प्रस्तुत करे;
- (iii) शैक्षिक अर्हता के सभी प्रमाणपत्रों तथा प्रमाणों तथा संबंधित पद तथा वेतनमान में वर्तमान तथा पिछले कार्य अनुभव की सत्यापित फोटो प्रतियाँ.
- (iv) संबंधित पत्तन द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र.
- (v) आवेदक से लिया गया वचननामा कि यदि सेवा चयन समिति द्वारा उसका चयन किया गया तो वह उसकी उम्मीदवारी वापस नहीं लेगा;
- (vi) संबंधित पत्तन से प्रशासनिक अनापत्ती प्रमाणपत्र (अनुलग्नक II).
- (vii) निर्धारित फॉर्मेट (अनुलग्नक III) में सतर्कता रिपोर्ट प्रस्तुत करना जरूरी है.
- (viii) दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ्स
- (ix) यदि पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदक पर कोई छोटा या बड़ा दण्ड लगाया गया हो तो ऐसे दण्ड की ओर ले जाने वाले अनुशासनिक मामले के साथ आवश्यक कागजातों को आवेदन सहित अग्रेषण प्राधिकरण द्वारा भेजा जाए.

5. मंत्रालय के दिनांक 11.8.2021 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी उम्मीदवार से आवेदन की अग्रिम प्रति की प्राप्ति के मामले में, यदि उसका आवेदन आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि से 15 दिनों के भीतर उचित माध्यम के जरिए पत्तन से प्राप्त नहीं हुआ तो उसकी उम्मीदवारी का विचार नहीं किया जाएगा. अतः महापत्तनों ने अनुरोध है कि वे आवेदनोंको संलग्नकों के संपूर्ण सेटसहित 06.10.2022 को या उसके पहले अग्रेषित करे.

6. आवेदन को अग्रेषित करते समय, महापत्तनों को एक ही समय पर सभी संगत दस्तावेजों को संलग्न करना जरूरी है. आंशिक/ टुकड़ों में भेजे गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा.

7. पात्रता मानदण्डों की निर्णायक तिथि आवेदन के समापन की अंतिम तिथि अर्थात् 21.9.2022 होगी.

8. As per the Ministry's guidelines dated 11.8.2021 regarding filling up the Dy. HoD level posts in Major Port Authorities, Port official who withdraws his candidature for the post after his selection by the Services Selection Committee, will be liable for debarment from future selection to Dy.HOD level posts in all Major Port Authorities for a period of two years.

9. Incomplete applications or applications received after due date will not be considered.

Yours faithfully,




SECRETARY
MUMBAI PORT AUTHORITY

Encl: As above

8. महापत्तन प्राधिकरणों में उप विभाग प्रमुख स्तर के पदों को भरने के संबंध में मंत्रालय के दिनांक 11.8.2021 के दिशानिर्देशों के अनुसार जो पत्तन पदधारी सेवा चयन समिति द्वारा उनका चयन होने के बाद अपनी उम्मीदवारी को वापस लेंगे, उनका दो वर्षों के अवधि के लिए सभी महापत्तन प्राधिकरणों के उप विभाग प्रमुख के स्तर के पदों पर भविष्य में चयन के लिए रोक लगाने के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे.
9. अंतिम तिथि के बाद प्राप्त हुए आवेदनों तथा अपूर्ण आवेदनों का विचार नहीं किया जायेगा.

संलग्न. यथोक्त.

भवदीय,

सचिव
मुंबई पत्तन प्राधिकरण

Civil Engineering Department

Annexure I

Sl. No.	Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection Post	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation)	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	Dy. Chief Engineer (Civil)	7	Class-I	16000-400-20800	Selection	42	<p>Essential :-</p> <p>(i) Degree or equivalent in Civil Engg. from a recognised University/ Institution</p> <p>(ii) Twelve years experience in executive cadre in Planning/ Constn./Design/ Maintenance preferably of Port and Marine structures in an Industrial/ Commercial/ Govt. Undertaking.</p>	<p>a) No</p> <p>b) Yes</p> <p>c) No</p>	N.A.	<p>By absorption through composite method failing which</p> <p>By deputation from other Government Organisations and failing both</p> <p>By direct recruitment</p>	<p>For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or post of Superintending Engineer and equivalent posts in the respective discipline of Civil Engg. Deptt. in the scale of pay of Rs.13000-18250 with 3 years regular service in the grade in a Major Port Trust or Superintending Engg. and equivalent posts in the respective discipline of Civil Engg. Deptt. with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 7 years in the scales of pay of Rs.10750-16750 and Rs.13000-18250 in the respective discipline of Civil Engg. Deptt. in a Major Port Trust will be eligible.</p> <p>For deputation, Officers holding analogous posts or officers holding post of Supdg. Engineer and equivalent posts in the respective discipline of Civil Engg. Deptt. in the scale of pay of Rs.13000-18250 with 3 years regular service in the grade in Govt./PSUs Autonomous Bodies will be eligible. The selection by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good".</p>	

स्थापत्य अभियांत्रिकी विभाग

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रुपये)	पद पर नियुक्त या गैर नियुक्त	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ	दया सीधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु (ख) शैक्षिक योग्यताएँ (ग) अनुभव पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू है	परिवर्तन की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पध्दति (सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में भर्ती किस श्रेणी से की जानी है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	उच्च मुख्य अभियंता (सिविल)	7	श्रेणी - I	16000-400-20800	नियुक्त	42 वर्ष	अनिवार्य : i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से नागरी अभियांत्रिकी में पदवी या समकक्ष ii) औद्योगिक/ वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रम में योजना/ निर्माण/ अभिकल्प/ अनुरक्षण विशेषकर पोर्ट एवं समुद्री संरचना में कार्यकारी संवर्ग में बारह वर्षों का अनुभव	क) नहीं ख) हाँ ग) नहीं	लागू नहीं	संयुक्त पध्दति द्वारा विलयन अथवा अन्य सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति द्वारा या दोनों नहीं होने पर सीधी भर्ती द्वारा.	महापत्तन न्यास में तत्समान पद पर कार्य कर रहे अधिकारी अथवा नागरी अभियांत्रिकी विभाग के संबद्ध क्षेत्र में 13000-18250 रुपये वेतनमान में 3 वर्ष से कार्यकर रहे अधीक्षण अभियंता और समकक्ष पद के अधिकारी अथवा महापत्तन न्यास में सिविल अभियांत्रिकी विभाग में दो वर्षों से नियमित कार्य कर रहे और 10750-16750 रु एवं 13000-18250 रु वेतनमान में संयुक्त रूप से 7 वर्षों से नियमित कार्य कर रहे अधीक्षण अभियंता और समकक्ष पद के अधिकारी संयुक्त पध्दति द्वारा विलयन के योग्य है. सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्वायत्त निकायों में तत्समान पद पर कार्य कर रहे अधिकारी और सिविल अभियंता विभाग के संबद्ध क्षेत्र में 13000-18250 रु वेतनमान में 3 वर्षों से कार्य कर रहे अधीक्षण अभियंता और समकक्ष पद के अधिकारी प्रतिनियुक्ति के योग्य है. नियुक्तता के आधार पर होगा इसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में 'बे' मार्क की सम्पूर्ण प्रेडिंज "बहुत अच्छा" होना आवश्यक है.	

ANNEXURE II

Certificate to be given by Head of Department of

Shri/Smt. _____

Designation _____

1. It is certified that the particulars furnished by the officer are correct.
2. It is certified that no disciplinary/vigilance case is pending or contemplated against the applicant and he/she is clear from Vigilance and Administrative angle.
3. His/Her integrity is certified.
4. It is certified that no major/minor penalties have been imposed on the applicant during the last 10 years. If any, kindly indicate details thereof.
5. Attested copies of ACRs for the last five years (1.4.2016 to 31.3.2021) are enclosed.
6. It is certified that the incumbent meets the requisite eligibility criteria w.r.t. educational qualification and experience as specified in the Annexure I of the circular for absorption through composite method.

SIGNATURE OF THE
HEAD OF DEPARTMENT WITH SEAL

विभाग प्रमुख द्वारा दिया जानेवाला प्रमाणपत्र

श्री/श्रीमती -----

पदनाम -----

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है.
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/सतर्कता का मामला लंबित या विचाराधीन नहीं है और वे/वह सतर्कता और प्रशासनिक दृष्टिकोण से निर्दोष हैं.
3. उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है.
4. यह प्रमाणित है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदक पर कोई बड़ा/मामूली दण्ड नहीं लगाया गया है. यदि कोई हो तो कृपया उसका विवरण दें.
5. पिछले पांच वर्षों (1.4.2016 से 31.3.2021) के लिए एसीआर की सत्यापित प्रतियाँ संलग्न हैं.
6. यह प्रमाणित है कि पदधारी समग्र योग्यता के माध्यम से मिश्रित पद्धति के जरिए आमेलन हेतु भर्ती के परिपत्रक के अनुलग्नक -I में यथा निर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के संबंध में अपेक्षित पात्रता मानदण्डों को पूरा करता है.

विभाग प्रमुख के मुहर सहित हस्ताक्षर

Particulars of the officer for whom vigilance Comments/ clearance
is being sought

(To be furnished and signed by the CVO or HOD)

1. Name of Officer (in full) :
2. Father's name :
3. Date of Birth :
4. Date of Retirement :
5. Date of entry into service :
6. Service to which the officer belongs including batch/year cadre etc. wherever applicable :
7. Positions held (during the ten preceding years) :

SL.No.	Organization (Name in full)	Designation & Place of Posting	Administrative/nodal Ministry/Deptt. Concerned (in case of Officers of PSU etc.)	From	To

8. Whether the officer has been Placed on the "Agreed List" or "List of officers of Doubtful Integrity". (If yes, details to be given).:
9. Whether any allegation of misconduct involving vigilance angle was examined against the officer during the last 10 years and if so, with what result.(*)
10. Whether any punishment was awarded to the officer during the last 10 years and if so, the date of imposition and details of the penalty (*)
11. Is any disciplinary/ criminal proceedings Or charge sheet pending against the Officer as on date. (If so, details to be furnished including reference no. if any, of the Commission)
12. Is any action contemplated against the officer as on date. (If so, details to be furnished) (*):

जिस अधिकारी के लिए सतर्कता टिप्पणी/अनापत्ति माँगी जा रही है उसका विवरण
(मुख्य सतर्कता अधिकारी अथवा विभाग प्रमुख द्वारा प्रस्तुत तथा हस्ताक्षरित किया जाए)

1. अधिकारी का संपूर्ण नाम :
2. पिता का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. सेवानिवृत्ति तिथि :
5. सेवा में प्रवेश की तिथि :
6. बैच/वर्ष काडर आदि सहित अधिकारी से संबंधित सेवा जहाँ भी लागू हो :
7. धारण किए गए पद (पिछले दस वर्षों के दौरान) :

क्र.सं.	संगठन (संपूर्ण नाम)	पदनाम तथा तैनाती की जगह	प्रशासनिक/नोडल संबंधित मंत्रालय/विभाग (साक्षेउ आदि के अधिकारियों के मामले में)	से	तक

8. क्या अधिकारी को "सहमत सूची" या "संदेहास्पद सत्यनिष्ठा के अधिकारियों की सूची" में रखा गया है. (यदि हाँ, तो उसका विवरण प्रस्तुत किया जाए) :
9. क्या पिछले दस वर्षों के दौरान अधिकारी के विरुद्ध सतर्कता दृष्टिकोण सम्मिलित कदाचार का कोई अभिकथन जाँचा गया था तथा यदि ऐसा है, तो उसका परिणाम क्या निकला. (*) :
10. क्या पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिकारी को कोई दंड दिया गया था तथा यदि ऐसा है, तो उस दंड के अधिरोपण की तिथि तथा विवरण. (*) :

13. Whether the officer/official has submitted :
his/her annual immovable property return
of the previous year as required under Rule
18 of the CCS (Conduct) Rules, 1964 within
the prescribed limit."
14. Details of complaint pending against the :
officer as on dated.

Date:

(Name and Signature)

(* If vigilance clearance had been obtained from the Commission in the past, the information may be provided for the period thereafter.

11. क्या आज की तारीख को अधिकारी के विरुद्ध कोई :
अनुशासनिक/आपराधिक कार्यवाहियाँ तथा आरोप-पत्र लंबित
है. (यदि ऐसा है, तो आयोग की संदर्भ संख्या, यदि कोई हो,
उसके सहित विवरण प्रस्तुत किया जाए)
12. क्या आज की तारीख को अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई :
अपेक्षित है (यदि ऐसा है, तो उसका विवरण प्रस्तुत किया
जाए) (*)
13. क्या अधिकारी/पदधारी ने सीसीएस (आचरण) नियम 1964 :
के नियम 18 के अंतर्गत यथावश्यक पिछले वर्ष की उसकी
वार्षिक संपत्ति विवरणी निर्धारित सीमा के भीतर प्रस्तुत की है.
14. आज की तारीख को अधिकारी के विरुद्ध लंबित शिकायत का :
विवरण.

दिनांक:

(नाम तथा हस्ताक्षर)

(*) यदि अतीत में आयोग से सतर्कता अनापत्ति प्राप्त की गई थी तो तत्पश्चात की अवधि के लिए सूचना मुहैया करे.